



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2021-22



निदेशालय, गृह रक्षा,
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

भाग-1 विभागीय सार-संक्षेप

	पृष्ठ संख्या
1.1 भूमिका	4
1.2 गृह रक्षा की शाखाएं	4
1.3 नियंत्रण	5

भाग-2. निदेशालय का विवरण

2.1 गृह रक्षा, निदेशालय	6-7
2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	8

भाग-3. विभागीय कार्यप्रणाली

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य	9
3.2 गृह रक्षा की सीमा इकाई	9-10
3.3 गृह रक्षा की शहरी/ग्रामीण इकाई	11
3.4 शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	12
3.5 सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	13-14
3.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम	15-16
3.7 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता	16
3.8 वार्षिक योजना	16
3.9 प्रशस्ति पत्र	17
3.10 विभागीय जांच एवं निलम्बन	17
3.11 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग	18-19

भाग-4. बजट प्रावधान

4.1 शहरी गृह रक्षा बजट मद	20
4.2 सीमा गृह रक्षा बजट मद	21
4.3 पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा	21

4.4	पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा	22
4.5	वृहद् निर्माण कार्य	22
4.6	अनुरक्षण एवं मरम्मत	22
	भाग-5. विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ परिशिष्ट	23
	(अ) विभाग का संगठानात्मक स्वरूप	24
	(ब) विभाग की जिले वाइज स्वयं सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण	25

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

भाग -1

1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में "होमगार्ड्स" नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्ध के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिकों व पुलिस की सहायता के लिए "होमगार्ड" संगठन स्थापित किया गया, तत्पश्चात् इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मध्यनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी-अपनी स्वयं सेवी संगठनों को एक संयुक्त सेना जिसका नाम "होमगार्ड्स" के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। राजस्थान में 'होमगार्ड्स' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्ड्स अध्यादेश 1962 एवं राजस्थान होमगार्ड्स नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 58 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवकों का विशाल बल है, जिनके साथ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। इसी के मध्यनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को "गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा" दिवस मनाया जाता है।

1.2 गृह रक्षा की दो शाखायें हैं :-

1. सीमा गृह रक्षा 2. शहरी /ग्रामीण गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा, राज्य के समस्त जिलों में है। राज्य के सभी जिलों में शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा में 1420 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्ड्स रूल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :-

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां (समस्त जिला स्तर पर)।

1.3 नियन्त्रण :

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ इकाइयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/ उप समादेष्टा के पद स्वीकृत हैं।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां राज्य के समस्त जिलो में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग - 2

2.1 गृह रक्षा निदेशालय

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय जलेब चौक परिसर में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गवर्नमेन्ट हॉस्टल के समीप पुरानी आलू फैक्ट्री परिसर में कार्यरत हैं।

विभाग के स्वयं के निदेशालय भवन निर्माण हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सैक्टर-4 विद्याधर नगर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये हैं व 1129.74 लाख का बजट आवंटित किया गया है। निदेशालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

स्वीकृत तथा उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :-

क.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
भारतीय पुलिस सेवा :					
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा	1	1	—	
2.	अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा	1	1	—	
3.	महानिरीक्षक, गृह रक्षा	1	1	—	
राजस्थान गृह रक्षा सेवा :					
1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा	2	1	1	02 उप महासमादेष्टा पदोन्नत पर पदस्थापित आदेश की प्रतीक्षा में।
2.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	2	2	—	
3.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर	1	—	1	
4.	उप समादेष्टा (स्टोर)	1	—	1	
5.	उप समादेष्टा (एल.आर.)	2	1	1	
राजस्थान लेखा सेवा :					
1.	वित्तीय सलाहकार	1	1	—	
2.	लेखाधिकारी	1	1	—	
राजस्थान चिकित्सा सेवा :					
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	1	—	

विभागीय अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	1	1	-	
2.	कम्पनी कमाण्डर आर्मीरर	1	-	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित।
3.	निरीक्षक (एम.टी.)	1	-	1	
4.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	-	
5.	सूचना सहायक	2	-	2	
6.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	1	-	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
7.	प्लाटून कमाण्डर	1	1	-	
8.	मुख्य आरक्षी	3	1	2	
9.	मुख्य आरक्षी आर्मीरर	2	-	2	दो मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
10.	आरक्षी	14	1	13	
11.	मशीनमैन	1	-	1	
12.	वाहन चालक	1	-	1	
13.	वार्ड ब्वाय	1	-	1	
लेखा अधीनस्थ सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी-1	1	1	-	
2.	सहायक लेखाधिकारी-11	2	2	-	
3.	कनिष्ठ लेखाकार	3	2	1	
मंत्रालयिक सेवा :					
1	निजी सचिव	1	-	1	
2.	निजी सहायक	2	1	1	
3	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-	
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	-	
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	6	-	
6.	वरिष्ठ सहायक	11	11	-	
7	कनिष्ठ सहायक	9	9	-	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	4	2	
2.	स्वीपर	1	1	-	
योग		89	55	34	

2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा जयपुर राजस्थान :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियां	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	निदेशक	1	—	1	02 उप महासमादेष्टा पदोन्नत पर पदस्थापित आदेश की प्रतीक्षा में।
2.	उप समादेष्टा	1	—	1	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	सीनियर इंस्ट्रक्टर	1	—	1	एक कम्पनी कमाण्डर रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
2.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1	—	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
3.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	—	
4.	प्लाटून कमाण्डर	3	3	—	
5.	मुख्य आरक्षी	6	2	4	
6.	आरक्षी	13	—	13	
7.	बिगुलर	2	—	2	
8.	ड्रम मैन	2	—	2	
9.	कांस्टेबल ड्राईवर	1	—	1	
लेखा सेवा					
1	सहायक लेखाधिकारी-II	1	—	1	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	—	
2.	शीघ्र लिपिक(स्टेनो)	1	—	1	
3.	वरिष्ठ सहायक	1	1	—	
4.	कनिष्ठ सहायक	3	3	—	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	2	1	1	
2.	कुक	2	2	—	
3.	कारपेन्टर	1	1	—	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1	1	
योग		46	16	30	

भाग – 3

गृह रक्षा संगठन :

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :-

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करना।
5. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
6. सरकार की समाज कल्याण योजना में मदद करना।
7. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा समय-समय पर कार्य सौंपे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा ड्यूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है जिसकी समय-समय पर भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागों जैसे पुलिस, खनिज, बिजली, चिकित्सा, न्यायालय, नगर निगम, कोरोना महामारी इत्यादि में सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवको को देकर उनमें अपना विश्वास जताया है।

3.2 सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियों)

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक-एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियाँ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक नामांकित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियों) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	गण समादेष्टा	4	1	3	
2.	उप गण समादेष्टा	4	1	3	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	28	14	14	
2.	प्लाटून कमाण्डर	76	25	51	
3.	प्लाटून कमाण्डर आरमोरर	4	—	4	
4.	प्लाटून कमाण्डर एम.टी.	4	1	3	
5.	मुख्य आरक्षी	24	18	6	
6.	मुख्य आरक्षी एम.टी.	3	—	3	
7.	मुख्य आरक्षी आरमोरर	4	—	4	
8.	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	35	5	30	
9.	आरक्षी	103	1	102	
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी—II	4	2	2	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	2	2	
2.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	
3.	वरिष्ठ सहायक	4	4	—	
4.	कनिष्ठ सहायक	20	17	3	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	21	8	13	
2.	स्वीपर	27	12	15	
योग :		373	114	259	

२.२ शहरी / ग्रामीण गृह रक्षा (७५६ कम्पनियों) :-

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा दल की इकाइयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियाँ सम्मिलित हैं, जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हें राज्य के कानून एवं व्यवस्था हेतु सहयोगार्थ सभी जिलों में वितरित किया गया है। स्वयं सेवकों की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट-“ब” पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाइयों में शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :-

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डर)	7	5	2	
2.	उप समादेष्टा	26	16	10	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	24	20	4	
2.	प्लाटून कमाण्डर	91	62	29	
3.	मुख्य आरक्षी	100	26	74	
4.	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	10	—	10	
5.	आरक्षी	100	26	74	
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी-आ	12	9	03	
2.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—	
अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :					
1.	कम्पाउण्डर	1	1	—	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	11	02	
2.	वरिष्ठ सहायक	31	27	04	
3.	कनिष्ठ सहायक	39	33	06	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	11	8	
2.	चौकीदार	15	12	3	
3.	कुक	7	6	1	
4.	स्वीपर	6	3	3	
योग :		502	269	233	

- वर्तमान में विभाग में 1010 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरुद्ध वर्तमान में 454 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 556 पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति दिसम्बर 2021 तक की दर्शाई गई है।
- इस विभाग में 06 अधिकारी/कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थाई रूप से पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा के कुल 30,714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में नफरी का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

नियोजन :

वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल, 2021 से दिसम्बर 2021 तक शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :-

3.4 शहरी गृह रक्षा

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1.	रात्रिगश्त / रात्रिकफर्यू ड्यूटी	1500	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
2.	शासन सचिवालय, ड्यूटी	250	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
3.	विधान सभा सुरक्षा, ड्यूटी	12	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
4.	जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव, 2021	7000 2160	24.08.2021 से 02.09.2021 तक 10.12.2021 से 19.12.2021 तक
5.	विधानसभा उप चुनाव 2021	2556 1286	15.04.2021 से 18.04.2021 तक 28.10.2021 से 30.10.2021 तक
6.	कोरोना ड्यूटी	कुल स्वयं सेवक 49040	विभिन्न माह में नियोजित 02.04.2021 से 15.07.2021 तक
7.	मेले / पर्वों के दौरान ड्यूटी	62040 मैनडेज	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
8.	राज. अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021	14213	25.09.2021 से 26.09.2021 तक
9.	आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध	250	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
10.	महाकुम्भ मेला हरिद्वार	2000	06.04.2021 से 16.04.2021 तक

2.5 जीमा गृह तथा स्मृतिगों का वितरण :

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1.	राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर	22	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
2.	सुपर थर्मल पावर प्लांट छबड़ा जिला बारां	159	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
3.	छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना मोतीपुरा बारां	174	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
4.	सुजलान ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, जैसलमेर	20	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
5.	हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स	48	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
6.	काली सिन्ध सुपर थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़	189	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
7.	विद्युत विभाग बांसवाडा	12	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
8.	बाल सुधार गृह जयपुर	15	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
9.	केयर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बाड़मेर	113	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
10.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमन्द (उदयपुर)	33	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
11.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, जोधपुर (जोधपुर)	10	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
12.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, जैसलमेर (जोधपुर)	33	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
13.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, सिरौही (जोधपुर)	5	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
14.	एच.पी.सी. एल. रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर	33	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
15.	वी.एस.लिग्नाईट पावर प्राइवेट लिमिटेड गुढा (बीकानेर)	34	01.04.2021 से 31.12.2021 तक

16.	सरिस्का बाघ परियोजना अलवर	137	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
17.	रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर	107	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
18.	मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	151	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
19.	जीटीवीपी रामगढ जैसलमेर	33	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
20.	आकाशवाणी अजमेर	03	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
21.	जवाहर सागर बूंदी	13	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
22.	रावतभाटा चित्तौडगढ	13	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
23.	गण कम्पनी मुख्यालय	26	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
24.	खान विभाग	489	01.04.2021 से 31.12.2021 तक
25.	मंहगाई हटाओं रैली	200	10.12.2021 से 13.12.2021 तक

3.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2021-22 में संचालित पाठ्यक्रम :

(अ) स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम

क्र.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	यातायात नियंत्रण कोर्स	19.07.2021 से 30.07.2021	HG VOL.	36
2.	मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स	26.07.2021 से 06.08.2021	HG VOL.	36
3.	आई. टी. कोर्स	02.08.2021 से 13.08.2021	HG VOL.	36
4.	वैपन कोर्स	09.08.2021 से 20.08.2021	HG VOL.	36
5.	फर्स्ट एण्ड कोर्स	23.08.2021 से 03.09.2021	HG VOL.	36
6.	ड्रील फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स	30.08.2021 से 10.09.2021	HG VOL.	36
7.	फायर फाइटिंग कोर्स (II)	06.09.2021 से 17.09.2021	HG VOL.	36
8.	ड्रिल कोर्स (II) (महिला स्वयं सेविकाएं)	13.09.2021 से 24.09.2021	HG VOL.	72
9.	सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स	20.09.2021 से 01.10.2021	HG VOL.	36
10.	यातायात नियंत्रण कोर्स (II) (महिला स्वयं सेविकाएं)	27.09.2021 से 08.10.2021	HG VOL.	36
11.	वैपन कोर्स (II)	04.10.2021 से 22.10.2021	HG VOL.	36
12.	मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स (II)	18.10.2021 से 29.10.2021	HG VOL.	36
13.	ड्रील फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स (II)	25.10.2021 से 09.11.2021	HG VOL.	36
14.	फर्स्ट एण्ड कोर्स (II)	08.11.2021 से 19.11.2021	HG VOL.	36
15.	मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स (III)	15.11.2021 से 03.12.2021	HG VOL.	36
16.	ड्रिल कोर्स (V)	29.11.2021 से 10.12.2021	HG VOL.	36
17.	यातायात नियंत्रण कोर्स (III)	13.12.2021 से 24.12.2021	HG VOL.	36
18.	लीडरशिप कोर्स (II)	20.12.2021 से 31.12.2021	HG VOL.	36

(ब) सीमा गृह रक्षा दल स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2021-22:-

क्र.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	ड्रिल कोर्स	28.06.2021 से 09.07.2021	BHG VOL.	72
2.	डिजास्टर मैनेजमेन्ट कोर्स	16.08.2021 से 27.08.2021	BHG VOL.	36
3.	ड्रिल कोर्स (III)	15.11.2021 से 26.11.2021	BHG VOL.	72
4.	ड्रिल कोर्स (IV)	29.11.2021 से 10.12.2021	BHG VOL.	72
5.	ड्रिल कोर्स (V)	08.12.2021 से 21.12.2021	BHG VOL.	36
6.	ड्रिल कोर्स (VI)	22.12.2021 से 04.01.2022	BHG VOL.	36

(स) स्थाई स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2021-22 :-

क्र.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	वैपन कोर्स	05.07.2021 से 16.07.2021	PC/HC	25
2.	टी. ओ. टी. कोर्स	20.09.2021 से 01.10.2021	CC/PC/HC	25

3.7 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 से होम गार्ड्स के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए पुलिस विभाग को स्वीकृत की 5 प्रतिशत राशि गृह रक्षा विभाग को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2021-22 में शामिल करने हेतु राशि रूपये 393.23 लाख का प्रस्ताव तैयार कर गृह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें विभाग को राशि रूपये 63.80 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3.8 वार्षिक योजना :-

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याघर नगर सैक्टर-4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129.74 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 429.74 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर, एवं टोंक प्रत्येक हेतु राशि रूपये 25-25 लाख (कुल राशि रूपये 50.00 लाख) एवं गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सिरोही एवं नागौर प्रत्येक हेतु राशि रूपये 5-5 लाख (कुल राशि रूपये 10.00 लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, झुन्झुनू एवं जालौर हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है तथा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, झुन्झुनू कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं।

3.9 प्रशस्ति पत्र :-

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदत्त दिनांक 25.01.2021 को इस विभाग के मृतक 02 स्वयं सेवकों को वीरता सेवा पदक, 02 कार्मिकों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदत्त दिनांक 24.08.2021 को इस विभाग के 01 कार्मिक को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई।

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गृह रक्षा स्थापना दिवस 06 दिसम्बर 2021 से पूर्व दिनांक 04.12.2021 को इस विभाग के 01 अधिकारी एवं 02 कार्मिक तथा 02 स्वयं सेवकों को महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई।

आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के दौरान 200 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा नकद पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

3.10 विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :-

गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्रकरण	01.01.2021 को विचाराधीन प्रकरण	01.01.2021 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण	31.12.2021 को लम्बित प्रकरण
1.	16 सीसीए	17	04	21	02	19
2.	17 सीसीए	02	08	10	07	03
3.	निलम्बन	03	08	11	05	06
योग :		22	20	42	14	28

3.11 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33 (5) गृह-9/2005 दिनांक 21.01.2012 द्वारा महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी' नियुक्त किया गया है, जिसके संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त स्टाफ आवंटित नहीं हुआ है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध सीमित स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	उपलब्ध
1.	महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी)	1
2.	अति० महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
3.	महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
4.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
5.	वरिष्ठ सहायक	1
6.	कनिष्ठ सहायक	1
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
8.	गृह रक्षा स्वयं सेवक	2
योग		09

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :-

1. राज्य में निजी सुरक्षा एजेन्सी का कार्य करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय-समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली अवैध निजी सुरक्षा अभिकरणों एवं अभिकरणों में पायी जाने वाली कमियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2021 तक कुल 2565 निजी सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से वर्तमान में 1741 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम-2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षों में जारी लाइसेन्स का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	लाइसेन्स का विवरण	वर्ष		
		2019	2020	2021
1	नवीन लाइसेन्स	314	218	237
2	लाइसेन्स नवीनीकरण	53	28	41
कुल योग :		367	246	278

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेंसियों से लाइसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त डी.डी.राशि रु. 78.00 लाख (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

भाग - 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2021-22

बजट मद - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107- (01) शहरी गृह रक्षा

(राशि लाखों में)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01- संवेतन	2156.25	718.75	2875.00	1481.59	431.43	1913.02
03- टी.ए.	22.50	7.50	30.00	19.34	6.41	25.75
04- मेडिकल	20.00	0.00	20.00	14.95	0.00	14.95
05- कार्यालय व्यय	468.75	156.25	625.00	73.35	24.02	97.37
08- वृत्तिका और विशिष्ट सेवायें	4.00	0.00	4.00	1.08	0.00	1.08
09- किराया कर	7.50	0.00	7.50	2.97	0.00	2.97
11- विज्ञापन/विक्रय एवं प्रचार प्रसार	0.30	0.10	0.40	0.20	0.07	0.27
12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	30.00	0.00	30.00	12.33	0.00	12.33
18- मशीनरी एवं साज समान	233.07	77.68	310.75	229.35	76.45	305.80
20- वाहन संधारण	37.50	12.50	50.00	33.06	10.92	43.98
29- प्रशिक्षण भ्रमण, सम्मेलन	1650.00	550.00	2200.00	589.46	205.47	794.93
32- डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
36- वाहनों का किराया	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37- लिवरीज	3.49	1.18	4.67	2.27	0.71	2.98
41- संविदा व्यय	9.00	0.00	9.00	6.06	0.00	6.06
42- प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	1370.48	0.00	1370.48	1159.46	0.00	1159.46
2070-00-107-01-00 योग :-	6012.86	1523.96	7536.82	3625.47	755.48	4380.95

4.2

बजट मद- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107- (02) सीमा गृह रक्षा

(राशि लाखों में)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01- संवेतन	247.50	742.50	990.00	162.93	495.42	658.35
03- टी.ए.	2.25	6.75	9.00	1.85	5.52	7.37
04- मेडिकल	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
05- कार्यालय व्यय	3.50	10.50	14.00	2.64	7.96	10.60
06- वाहनों का क्रय	37.50	112.50	150.00	37.23	111.68	148.91
08- वृत्तिका और विशिष्ट सेवायें	2.00	0.00	2.00	0.02	0.00	0.02
09- किराया कर	0.15	0.00	0.15	0.07	0.00	0.07
11- विज्ञापन/ विक्रय एवं प्रचार प्रसार	0.05	0.15	0.20	0.01	0.03	0.04
18- मशीनरी एवं साज समान	49.10	147.20	196.30	49.05	102.57	151.62
20- वाहन संधारण	8.25	24.75	33.00	3.82	11.45	15.27
29- प्रशिक्षण भ्रमण, सम्मेलन	162.50	487.50	650.00	93.54	280.61	374.15
32- डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37- लिवरीज़	0.58	1.72	2.30	0.45	1.39	1.84
42- प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	51.43	0.00	51.43	42.59	0.00	42.59
2070-00-107-02-00 योग	566.82	1533.57	2100.39	395.20	1016.63	1411.83

4.3

बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107- (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

01 - पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06- वाहनो का क्रय	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
18-मशीनरी एवं साज समान	36.00	54.00	90.00	25.40	38.10	63.50
2070-00-107-03-01 योग:-	36.01	54.01	90.02	25.40	38.10	63.50

4.4 बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 107- (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना
 02 - पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06- वाहनो का क्रय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18-मशीनरी एवं साज समान	28.00	42.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070-00-107-03-02 योग:-	28.01	42.00	70.01	0.00	0.00	0.00

4.5 बजट मद - 4059-80-051-05-02
 गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
17-वृहद् निर्माण कार्य	728.44	0.00	728.44	300.00	0.00	300.00
योग:-	728.44	0.00	728.44	300.00	0.00	300.00

4.6 बजट मद - 2059-80-053-41-01

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत	30.59	0.00	30.59	5.19	0.00	5.19
योग:-	30.59	0.00	30.59	5.19	0.00	5.19


भाग – 5

आलौच्य वर्ष 2021–22 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :-

1. कोरोना महामारी (कोविड-19) की रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगभग 40 हजार स्वयं सेवकों का नियोजन कर अभुतपूर्व योगदान दिया गया।
2. तमिलनाडू विधानसभा चुनाव-2021 में बोर्डर होमगार्ड की 06 कम्पनियों का नियोजन किया गया।
3. महाकुम्भ मेला हरिद्वार के आयोजन में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 2 हजार गृह रक्षा स्वयं सेवकों का सफलतापूर्वक नियोजन किया गया।
4. इस विभाग के लगभग 23,505 स्वयं सेवकों सहित अधिकारियों/कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन के अन्तर्गत डबल डॉज का वैक्सीनेशन हो चुका है।
5. विधान सभा उप चुनाव एवं विभिन्न जिला परिषद चुनावों में कुल 13002 स्वयं सेवकों का नियोजन किया गया।
6. गृह रक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध पुनः प्रशिक्षण 14,557 तथा अग्रिम प्रशिक्षण 7193 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया।
7. इस विभाग के ग्रामीण उपकेन्द्रों को शहरी गृह रक्षा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुदृढीकरण कर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
8. इस विभाग के 2500 गृह रक्षा स्वयं सेवकों की नामांकन प्रक्रिया अत्याधुनिक RFID तकनीक द्वारा जयपुर शहर को छोड़कर पूर्ण कर ली गई है।
9. राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 का अनुमोदन कर अधिसूचना जारी की गई।
10. इस विभाग में लगभग 21 वर्ष से लम्बित प्लाटून कमाण्डर, मुख्य आरक्षी आर्मीरर, आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक इत्यादि की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं।
11. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर, सिरोही, नागौर, अजमेर, टोंक एवं चित्तौडगढ़ में कार्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
12. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जालौर, धौलपुर, अलवर एवं झुन्झुनूं में कार्यालय हेतु जमीन का आवंटन करवा लिया गया है।

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

परिशिष्ट "अ"



परिशिष्ट 'ब'

होम गार्ड्स की स्वीकृत/ऑन रोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति)											
क्र.सं.	जिले का नाम	अधिकृत		कुल योग	मौजूदा		कुल योग	रिक्तियां		कुल योग	नियोजित
		पुरुष	महिला		पुरुष	महिला		पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अजमेर.	1660	60	1720	1528	54	1582	132	6	138	750
2	अलवर	1310	80	1390	985	54	1039	325	26	351	344
3	बाड़मेर	455	20	475	428	0	428	27	20	47	155
4	बांसवाड़ा	330	35	365	287	30	317	43	5	48	101
5	बारंग	530	20	550	468	0	468	62	20	82	138
6	बीकानेर	1025	35	1060	955	29	984	70	6	76	242
7	भरतपुर	995	35	1030	821	27	848	174	8	182	168
8	भीलवाड़ा	770	35	805	717	31	748	53	4	57	233
9	बून्दी	520	30	550	474	25	499	46	5	51	143
10	चूरु	530	20	550	488	12	500	42	8	50	99
11	चित्तौड़गढ़	860	20	880	740	0	740	120	20	140	342
12	दौसा	490	20	510	419	0	419	71	20	91	96
13	धौलपुर	420	20	440	373	0	373	47	20	67	100
14	डूंगरपुर	335	30	365	306	30	336	29	0	29	182
15	श्रीगंगानगर	690	40	730	603	29	632	87	11	98	230
16	हनुमानगढ़	440	35	475	412	31	443	28	4	32	117
17	जयपुर	3275	220	3495	2776	166	2942	499	54	553	2087
18	जालौर	270	20	290	253	0	253	17	20	37	99
19	जैसलमेर	420	20	440	377	0	377	43	20	63	135
20	झालावाड़	475	35	510	381	31	412	94	4	98	132
21	शुन्शुनु	305	25	330	289	25	314	16	0	16	88
22	जोधपुर	2270	110	2380	1962	98	2060	308	12	320	673
23	करौली	420	20	440	376	0	376	44	20	64	96
24	कोटा	1945	70	2015	1761	33	1794	184	37	221	684
25	नागौर	735	35	770	613	23	636	122	12	134	107
26	पाली	805	35	840	666	24	690	139	11	150	141
27	प्रतापगढ़	310	20	330	283	0	283	27	20	47	86
28	राजसमन्द	550	70	620	488	66	554	62	4	66	127
29	स.माधोपुर	600	20	620	576	0	576	24	20	44	219
30	सीकर	625	35	660	578	27	605	47	8	55	150
31	सिरोही	345	20	365	251	0	251	94	20	114	93
32	टोंक	710	20	730	492	1	493	218	19	237	114
33	उदयपुर	1210	110	1320	858	76	934	352	34	386	479
	योग	26630	1420	28050	22984	922	23906	3646	498	4144	8950

नोट:- वर्तमान में 20 ग्रामीण उपकेन्द्र को शहरी केन्द्रों में सम्मिलित कर शहरी केन्द्र घोषित किया गया है।

सीमा गृह रक्षा दल (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति)					
क्र.सं.	गण का नाम	स्वीकृत नफरी	ऑन रोल नफरी	रिक्त पद	कुल नियोजन
1.	बाड़मेर	666	575	91	466
2.	जैसलमेर	666	570	96	470
3.	बीकानेर	666	579	87	468
4.	श्री गंगानगर	666	583	83	468
	कुल योग	2664	2307	357	1872